गजवा-ए-हिन्द नहीं चलेगा : सीएम योगी

उत्सव में अराजकता करने वालों ने विकास में बाधा डाली तो विकास पहले उनके विनाश का कारण बन जाएगा

दंगा करने वालों को जहन्नुम का टिकट दिया जाएगा

शून्य सहिष्णुता की नीति पर गद्दारों के प्रति हो रहा कार्य

बलरामपुर, 28 सितम्बर (वार्ता) उत्तर-प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्सव में अराजकता करने वालों ने विकास में बाधा डाली तो विकास पहले उनके विनाश का कारण बन जायेगा.

योगी ने भारत-नेपाल सीमावर्ती बलरामपुर जिले घुघरपुर में एक जनसभा को संबोधित करते कहा कि गजवा ए हिन्द का स्वप्न देखने वाले का मंसूबा भारत में कभी पूरा नहीं हो सकता, बल्कि ऐसे लोगों को जहन्नुम का टिकट थमा दिया जायेगा उन्होंने लोगों से अपील की कि वे भारत विरोधी, हिन्दू विरोधी गतिविधियों में लिप्त कालनेमियों से सतर्क रहें और इनकी जानकारी प्रशासन से साझा करें द्य अपराध और अपराधियों और गद्दारों के प्रति सरकार शून्य सहिष्णुता की नीति पर कार्य कर रही हैं द्य उन्होंने कहा कि आस्था चौराहे पर प्रस्तुत करने का नहीं अंत:करण का विषय ह "अराजकता फैलाने वाले बच्चों के हाथों में आई लव मोहम्मद की तख्ती, पोस्टर थमाकर प्रदर्शन कराकर उनकी जिन्दगी बर्बाद कर रहे हैं . दंगा और अराजकता करने वालों को बिना मांगे जहन्नुम का टिकट थमा दिया जायेगा उप्र के भ्रष्ट सरकारों से मिलकर पहचान मिटाने और बीमारू राज्य बनाने वाले ही माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि ड्रोन और चोरी की अफवाह तथा भय फैलाने का अनावश्यक कार्य करने वालों पर गैंगेस्टर लगेगा.

> योगी ने कहा कि बलरामपुर जिले को 825 करोड़ की परियोजनाओं से आच्छादित कर आकाक्षा से परिपूर्ण जिला बनाया जा रहा है. पिछली सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया देती थी लेकिन भाजपा सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज दे रही है. उन्होंने घोषणा की की बलरामपुर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई के नाम पर मेडिकल कॉलेज मिलेगा. इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया द्य उन्होंने कहा कि बलरामपुर डबल इंजन की सरकार में विकास को लेकर अपनी नई पहचान बना रहा हैं उन्होंने मंच से सड़क कनेक्टिविटी संग एयर कनेक्टिविटी के लिये सरकार की विकास योजनाओं को गिनाया.

भाजपा-आरएसएस के निशाने पर लद्दाख

▸ **लद्दाख को लेकर राहुल गांधी का बयान**

नई दिल्ली, 28 सितंबर. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भाजपा और आरएसएस पर हमला करते हुए रविवार को कहा कि लद्दाख के लोग, परंपरा और संस्कृति इनके निशाने पर हैं.

कांग्रेस नेता ने प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में चार लोगों के मारे जाने को हत्या करार देते हुए कहा कि सोच समझकर लद्दाख की संस्कृति, परंपरा और वहां के लोगों की हत्या की जा रही है. उन्होंने कहा कि लोगों की आवाज दबाई जा रही है इसलिए ही सोनम वांग्चुक को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है. गांधी ने कहा कि लद्दाख के अद्भुत लोग, संस्कृति और परंपराएं भाजपा और आरएसएस के निशाने पर हैं. लद्दाखियों ने आवाज उठाई. भाजपा ने जवाब में चार युवकों की हत्या कर दी और सोनम वांग्चुक को जेल में डाल दिया.

> वहीं अधिकारियों ने बताया कि हिंसा प्रभावित लेह में रविवार को लगातार पांचवें दिन कर्फ्यू लागू रहा. उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता प्रतिबंधों में ढील देने पर फैसला लेने के लिए सुरक्षा समीक्षा बैठक करने वाले हैं. राज्य का दर्जा और लद्दाख में छठी अनुसूची के विस्तार के मुद्दे पर केंद्र के साथ बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए लेह एपेक्स बॉडी द्वारा बुलाए गए बंद के दौरान बुधवार को प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प हुई थी.

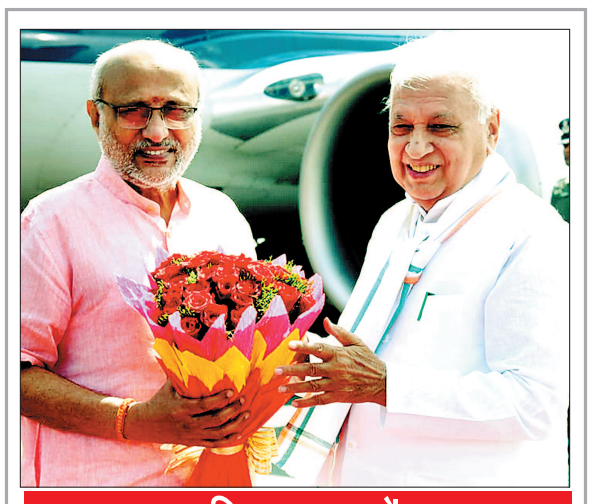

उपराष्ट्रपति का पटना में स्वागत

पटना, 28 सितंबर. उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन का रविवार को पटना हवाई अड्डे पर बिहार के राज्यपाल आरिफ मो. खान ने स्वागत किया.

देश-दुनिया के लिए खतरा है पाकिस्तान : एस जयशंकर

न्यूयार्क 28 सितंबर. संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को वैश्विक आतंकवाद का केंद्र बताया. अपने संबोधन में, जयशंकर ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान और आतंकवाद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. उन्होंने कहा कि भारत अपनी आजादी के बाद से ही इस चुनौती का सामना कर रहा है, क्योंकि उसका पड़ोसी देश दशकों से प्रमुख अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी हमलों से जुड़ा रहा है. एस जयशंकर ने अप्रैल में हुए पहलगाम हमले का भी जिक्र किया, जहां निर्दोष पर्यटकों की हत्या की गई थी. उन्होंने जोर दिया कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपने लोगों की रक्षा करने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के अधिकार का प्रयोग किया है.

कांगो में इबोला प्रकोप से 42 लोगों की मौत

किंशासा, 28 सितंबर. कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (डीआरसी) के कसाई प्रांत में इबोला विषाणु संक्रमण के कारण 64 दर्ज मामलों में से 42 लोगों की मौत हो गयी है.

स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों में शनिवार को इसकी जानकारी दी. इसे देखते हुए संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने वैश्विक स्तर पर रोकथाम का आह्वान किया है. स्थानीय मीडिया के अनुसार प्रांतीय संचार एवं मीडिया मंत्री बाजनि पेम्बे ने कहा कि 26 सितंबर को दर्ज हुए 64 मामलों (जिनमें 53 पुष्ट और 11 संभावित मामले हैं) में से 42 लोगों की मौत हो गयी है.

> इन 42 में से 31 पुष्ट मामले हैं. कांगो सरकार ने चार सितंबर को इसे प्रकोप घोषित कर दिया था, जो देश का 16वां इबोला प्रकोप है. 1976 में पहली बार कांगों में इस विषाणु का पता चला था. संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) ने कहा कि कसाई क्षेत्र देश के सबसे नाजुक क्षेत्रों में से एक है, जो कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली, सुरक्षित पानी तक सीमित पहुंच, दवाओं की कमी और गंदगी का सामना कर रहा है. कांगो में यूनिसेफ के प्रतिनिधि जॉन एगबोर ने एक बयान में कहा कि इस तरह के प्रकोप हमें यह भी याद दिलाते हैं कि वैश्विक तैयारी और तत्काल प्रतिक्रिया कितनी महत्वपूर्ण है.

अमित शाह ने लता मंगेशकर की आवाज को भारत की पहचान बताया

नई दिल्ली, 28 सितंबर. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महान गायिका लता मंगेशकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और भारतीय संगीत और संस्कृति में उनके अतुल्य योगदान को याद किया.

शाह ने सोशल मीडिया पर कहा, मैं लता मंगेशकर जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं. लाखों भारतीयों की प्रिय संगीत आइकन जिन्होंने अपनी आवाज के माध्यम से भारतीय संगीत को एक नई पहचान दी. गृह मंत्री ने इस अवसर पर लता मंगेशकर के साथ अपनी तस्वीरें साझा करते हुए उनसे व्यक्तिगत बातचीत को याद किया, लता दीदी की आवाज में एक सरलता, स्थिरता और एक भावपूर्ण गुण था जो हर श्रोता को मंत्रमुग्ध कर देता था. मुझे जब भी उनसे मिलने का अवसर मिलता हम संगीत और कला पर लंबी बातचीत करते. शाह ने उनकी अद्वितीय बहुमुखी प्रतिभा पर प्रकाश डालते हुए विभिन्न भाषाओं और बोलियों में भारतीय संगीत को समृद्ध करने के लिए उनकी प्रशंसा की.

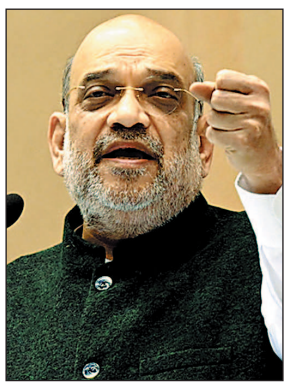

और कहा, अपनी जादुई आवाज से कई भाषाओं और बोलियों के संगीत को समृद्ध करने वाली लता दीदी अपने गीतों के माध्यम से हमेशा लाखों लोगों के दिलों में रहेंगी.

ईरान पर संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रतिबंध फिर से लागू

वाशिंगटन, 28 सितंबर. ईरान पर संयुक्त राष्ट्र के छह प्रतिबंध दस वर्षों के बाद रविवार आधी रात फिर से लागू हो जाएंगे. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने एक्स पर लिखी एक पोस्ट में कहा, संयुक्त राष्ट्र के छह प्रस्तावों को फिर से सक्रिय कर दिया गया है, जो ईरान के परमाणु संवर्धन पर प्रतिबंध लगाते हैं.

आज का इतिहास

1650 - इंग्लैंड में पहले मैरिज ब्यूरो की शुरुआत हुई।

1789 - अमेरिका के युद्ध विभाग ने स्थायी सेना स्थापित

1836 - मद्रास चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना

1911 - इटली ने ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ़ युद्ध की घोषणा की।

1915 - टेलीफोन से पहला अंतरमहाद्वीपीय संदेश भेजा गया।

1927 - अमेरिका और मैक्सिको के बीच टेलीफोन सेवा की शुरुआत हुई।

1928 - भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बृजेश मिश्र का जन्म।

1932 - प्रसिद्ध हास्य अभिनेता महमूद का जन्म।

1959 - आरती साहा ने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया।

1962 - कोलकाता में बिड़ला तारामंडल खुला।

ट्रम्प ने पोर्टलैंड में सैनिकों की तैनाती का दिया आदेश

वाशिंगटन, 28 सितंबर. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने शनिवार को ओरेगन राज्य के पोर्टलैंड में घरेलू आतंकवादियों से निपटने के लिए सैनिकों की तैनाती का आदेश दिया। ट्रम्प ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, मैं रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ को युद्धग्रस्त पोर्टलैंड और घेराबंदी में फंसे हमारे किसी भी आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन (आईसीई) केंद्र को एंटीफा और अन्य घरेलू आतंकवादियों के हमले से बचाने के लिए सभी आवश्यक सैनिक उपलब्ध कराने का निर्देश दे रहा हूँ। पोर्टलैंड के मेयर कीथ विल्सन ने सितंबर की शुरुआत में एक बयान में कहा था कि देश भर के अन्य मेयरों की तरह उन्होंने संघीय हस्तक्षेप का न तो अनुरोध किया था और न ही उन्हें इसकी आवश्यकता थी। विल्सन ने शनिवार को कहा कि ट्रम्प द्वारा शहर में सभी आवश्यक सैनिकों को भेजने के आदेश के बाद, पोर्टलैंड और किसी भी अन्य अमेरिकी शहर में आवश्यक सैनिकों की संख्या शून्य ट्रम्प ने इससे पहले लॉस एंजिल्स और वाशिंगटन, डी.सी. में सैनिकों की तैनाती की थी, जिसके विरोध में विरोध प्रदर्शन हुए थे।

पाक में 17 आतंकवादी मारे गए

इस्लामाबाद, 28 सितंबर. पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सुरक्षा बलों के एक अभियान के दौरान 17 आतंकवादी मारे गए है.

सेना ने शनिवार को यह जानकारी दी. पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा, इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) ने एक बयान में कहा कि यह अभियान प्रांत के लक्की मरवत जिले में आतंकवादियों की कथित मौजूदगी के बाद चलाया गया. बयान में कहा गया है कि आतंकवादियों के ठिकाने से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद भी बरामद किया गया एवं इलाके से आतंकवादियों की मौजूदगी को खत्म करने के लिए क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. सेना ने कहा कि पाकिस्तान के सुरक्षा बल देश से आतंकवाद के खतरे को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

TATA

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 11 वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनीनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग लोवर परेल, मुम्बई-400013.
शाखा कार्यालय : 9/1/1, सूरज भवन, दूसरी मंजिल, येस बैंक के ऊपर, एम.जी. रोड़, इन्दौर-452001

अचल संपत्ति की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

(सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) सपठित नियम 9(1) के तहत)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) सपठित नियम 9(1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु 15 दिवसीय ई-नीलामी सूचना

एतद्द्वारा सर्व सामान्य और विशेषकर अधोलिखित कर्जदार और/सह-कर्जदार या उनके कानूनी उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों (कर्जदारों) को सूचित किया जाता है कि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि. (टीसीएचएफएल), को बंधक अधोलिखित अचल संपत्ति जिसका टीसीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा लिया गया, अधोलिखित कर्जदार और सह-कर्जदार से कुल बकाया राशि की वसूली के लिए **'जो है जहाँ है' और 'जहाँ है, जैसा भी है' और 'जो भी हैं'** आधार पर दिनांक **17-10-2025** को बिक्री की जायेंगी। आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि जमा निम्न वर्णित हैं। एतद्वारा सूचित किया जाता है कि बिक्री के किसी स्थगन / बाधा के अभाव में उक्त संपत्ति ई-नीलामी के माध्यम से दिनांक **17-10-2025** को दोपहर **2:00** बजे बिक्री की जायेगी। संपत्ति खरीद के लिए मुहरबंद ई-नीलामी हेतु ईएमडी राशि का डिमांड डाफ्ट टीसीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक **16-10-2025** को समय सायं **5.00** बजे तक शाखा कार्यालय : **टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड, 9/1/1, सूरज भवन, द्वितीय तल, यस बैंक के ऊपर, एम. जी. रोड़, इंदौर-452001** पर जमा किया जाना चाहिए। प्रत्याभूत संपत्ति/अचल संपत्ति की बिक्री 'जैसी है जहाँ है शर्त' निम्न अनुसूची में उल्लिखित संक्षेप विवरणों के अनुसार होगी।

क्रं	ऋण खाता क्रं.	ऋणी(यों)/सह-ऋणी(यों)/कानूनी वारिस(सों)/जमानतदा(रों) के नाम	मांग सूचना के अनुसार राशि एवं मांग सूचना दिनांक	आरक्षित मूल्य	बकाया राशि
1	9175788 & 9178508 & 9949493	**श्रीमती मिनाक्षी बजाज,** स्व. श्री लक्ष्मणदास बजाज की पत्नि एवं कानूनी उत्तराधिकारी **श्री राजीव बजाज** स्व. श्री लक्ष्मणदास बजाज के पुत्र एवं कानूनी उत्तराधिकारी	**रू.18,28,823/-** (रूपये अठारह लाख अट्ठाईस हजार आठ सौ तेईस मात्र) की राशि अनुबंध क्रमांक 9175788 के अंतर्गत आपके द्वारा बकाया एवं देय है एवं **रू. 6,28,065/-** (रूपये छः लाख अट्ठाईस हजार पैंसठ मात्र) की राशि अनुबंध क्रमांक 9178508 के अंतर्गत आपके द्वारा बकाया एवं देय है एवं **रू.12,40,726/-** (रूपये बारह लाख चालीस हजार सात सौ छब्बीस मात्र) की राशि अनुबंध क्रमांक 9949493 के अंतर्गत आपके द्वारा बकाया एवं देय है एवं कुल **रू.36,97,614/-** (रूपये छत्तीस लाख सिंत्यान्वे हजार छः सौ चौदह मात्र) **21-11-2022**	**रू. 37,50,000/** (रूपये सैंतीस लाख पचास हजार मात्र) **अग्रिम जमा राशि (ईएमडी)- रू. 3,75,000/-** (रुपये तीन लाख पच्छहत्तर हजार मात्र) **कब्जे का प्रकार-** भौतिक	**रू. 10,14,468/-** (रूपये दस लाख चौदह हजार चार सौ अड़सठ मात्र) की राशि अनुबंध क्रमांक 9178508 के अंतर्गत आपके द्वारा बकाया एवं देय है एवं **रू. 20,10,345/** (रूपये बीस लाख दस हजार तीन सौ पैतालीस मात्र) की राशि अनुबंध क्रमांक 9949493 के अंतर्गत आपके द्वारा बकाया एवं देय है एवं **रू. 29,43,006/-** (रूपये उन्तीस लाख तिरालीस हजार छ मात्र) की राशि अनुबंध क्रमांक 9175788 के अंतर्गत आपके द्वारा बकाया एवं देय है एवं कुल **रू. 59,67,819/-** (रूपये उनसाठ लाख सड़सठ हजार आठ सौ उन्नीस मात्र) **12-08-2025**

अचल संपत्ति का विवरण:- अचल संपत्ति के समस्त एवं शेष भाग, दूसरी मंजिल पर सुपर बिल्ट-अप क्षेत्र 1040.00 वर्गफीट या 96.65 वर्ग मीटर का एक फ्री होल्ड आवासीय फ्लैट नंबर 202, जो 'कृष्णा कुंज' नामक बहुमंजिला इमारत/कॉम्प्लेक्स में स्थित है, जिसका निर्माण पलसीकर कॉलोनी इंदौर जिला: इंदौर मध्य प्रदेश, प्लॉट नंबर 19 के उत्तर पश्चिम की ओर (सामने की ओर) की भूमि पर किया गया है, **चर्तुसीमा**: पूर्व:- अन्य भूमि, पश्चिम:- फ्लैट नं. 201, उत्तर:- रोड, दक्षिण:- अन्य भूमि

प्रकटीकरण:- सह-ऋणी द्वारा TCHFL के विरुद्ध दायर किया गया SA (SA/549/2024) DRT, जबलपुर के समक्ष लंबित है। उक्त मामले में TCHFL के विरुद्ध कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया है। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे बोली प्रस्तुत करने से पहले उचित सावधानी बरतें। नीलामी मुकदमे के परिणाम के अधीन होगी।

नीलामी में, आम जनता को व्यक्तिगत रूप से अपनी बोली प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। हालाँकि, इस बिक्री के संबंध में कोई भी कर्तव्य निभाने वाला कोई भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति, बेची गई अचल संपत्ति में कोई भी हित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बोली नहीं लगाएगा, प्राप्त नहीं करेगा या प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेगा।

बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 में निर्धारित शर्तों और निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन होगी:

कृपया ध्यान दें: ई-नीलामी पोर्टल https://auctionbazaar.com/ के माध्यम से दिनांक 17-10-2025 को दोपहर 2.00 बजे से 3.00 बजे के बीच प्रत्येक 5 मिनट अवधि के असीमित विस्तार के साथ होगी।

नियम और शर्ते : 1. अनुसूची में दिया विवरण अधोहस्ताक्षरी के पूर्ण ज्ञान व जानकारी में दिया गया है, किंतु इस उदघोषणा अधोहस्ताक्षरी किसी त्रुटी, गलती या चूक के लिए अधोहस्ताक्षरी जवाबदेय नहीं होगा। बोली राशि या निविदाकार संबंधी किसी विवाद की स्थिति में अचल संपत्ति को दुबारा नीलामी के लिए रखा जायेगा। 2. संपत्ति आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जायेगी। 3. बोली वृद्धि राशि: **रू.10,000/- (दस हजार मात्र)** 4. संपत्ति की खरीद के लिए सभी निविदाएँ **'टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड'** के पक्ष में और उपरोक्त शाखाओं में देय डिमांड ड्राफ्ट के साथ जमा की जाएं। असफल निविदाकारों के डिमांड ड्राफ्ट वापस कर दिए जायेंगे। आरटीजीएस/ एनईएफटी/ आईएमपीएस के माध्यम से ईएमडी के भुगतान के लिए प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें। 5. उच्चतम बोलीकारी को संबंधित लॉट का खरीदार घोषित किया जायेगा, बशर्ते वह विधिक रूप से बोली लगाने के लिए योग्य हो और उसकी बोली राशि आरक्षित मूल्य से कम न हो। 'प्राधिकृत अधिकारी' को अपने विवेक से उच्चतम बोली को अस्वीकार करने का अधिकार होगा जब उसे लगे कि पेशकश मूल्य स्पष्टरूप से अपर्याप्त है। 6. उपलब्ध कारणों से 'प्राधिकृत अधिकारी ' को अपने विवेक से बिक्री को स्थगित / रोकने का अधिकार होगा। 7. संपत्ति की निरीक्षण दिनांक **09-10-2025** को **सुबह 11:00 बजे से सायं 5:00 बजे** तक किया जा सकेगा। 8. खरीददार घोषित व्यक्ति को ऐसी घोषणा के तुरंत बाद क्रय राशि की पच्चीस प्रतिशत राशि जिसमें ईएमडी राशि शामिल होगी प्राधिकृत अधिकारी के पास 24 घंटे के अंदर जमा करनी होगी, यह राशि जमा न किए जाने की स्थिति में संपत्ति नई नीलामी/निजी संधि द्वारा बिक्री के लिए रखी जायेगी। 9. उपरोक्त अनुसार प्रारंभिक राशि जमा कर दिए जाने पर क्रय राशि की शेष राशि संपत्ति की बिक्री की पुष्टि होने की तारीख से 15 दिनों तक खरीदार द्वारा 'प्राधिकृत अधिकारी को जमा करनी होगी, यदि 15वें दिन कोई रविवार या अन्य अवकाश होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम कार्य दिवस को जमा करनी होगी। 10. उपरोक्तानुसार भुगतान न होने पर संपत्ति नई नीलामी / निजी संधि द्वारा बिक्री के लिए रखी जायेगी। सभी जमा राशि टाटा कैपीटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पास जब्त हो जायेगी और चूककर्ता खरीदारें संपत्ति पर अपने सभी दावे खो देगा। 11. टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लि. को ज्ञात ऋणभारों जिनके लिए संपत्ति देनदार है का विवरण-कोई नहीं, दावे, यदि कोई हों, जो संपत्ति के लिए प्रस्तुत किए गए हों और इसकी प्रकृति और मूल्य से संबंधित कोई अन्य ज्ञात विवरण: उपरोक्त तालिका के अनुसार। उपरोक्त अनुसूची के विवरण अनुसार इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वहां के संपत्ति कर, बिजली आदि के सांविधिक देनदारियों क्षेत्रों सहित संपत्ति पर ऋण भार के बारे में स्वयं जांच करें। **12. अन्य किसी विवरण के लिए अथवा ई-नीलामी पर प्रक्रिया ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता, अर्का ईमार्ट प्रायवेट लिमिटेड, 6-3-1090/1/1, दूसरी मंजिल, पार्ट बी, उमा हैदराबाद हाउस, राजभवन रोड़, सोमाजीगुडा, हैदराबाद 500082, ई-मेल आईडी : contact@auctionbazaar.com / support@auctionbazaar.com के माध्यम से अथवा मनीष बंसल, ईमेल आईडी manish.Bansal@tatacapital.com प्राधिकृत अधिकारी, मोबाइल नंबर 8588983696 पर संपर्क कर सकते हैं। कृपया अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9999078669 पर भेजें।** 13. उच्चतम घोषित बोली राशि पर उच्चतम बोली दाता द्वारा 1% का टीडीएस लागू और देय होगा। भुगतान उच्चतम बोलीदाता द्वारा मालिक/उधारकर्ता (ओं) के पैन में जमा करना आवश्यक है और चालान की प्रति हमारी कंपनी को प्रस्तुत की जाएगी। 14. उपरोक्त विवरणों के लिए कृपया प्रदान की गई प्रत्याभूत ऋणदाता की वेबसाइट **https://surl.li/onvkyf** का संदर्भ लें। 15. कृपया इस लिंक पर भी जाएं : **https://www.tatacapital.com/property-disposal.html**

कृपया ध्यान दें: टीसीएचएफएल ने इस संपत्ति की बिक्री/नीलामी के लिए उल्लिखित नीलामी भागीदार के अलावा किसी दलाल / एजेंट को नहीं लगाया है। इच्छुक पक्षों को इस मामले में सभी प्रश्नों और जांच के लिए केवल अधोहस्ताक्षरी या अधिकृत कार्यालय से संपर्क करना चाहिए।

ह/-
(प्राधिकृत अधिकारी)
टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लि.

स्थान : इन्दौर
दिनांक : 29-09-2025

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड

Aadhar Housing Finance Ltd

कार्पोरेट कार्यालय: युनिट नं. 802, नटराज रुस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.वी. रोड़, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई-400069.
खंडवा शाखा: प्लॉट नंबर - 1, श्री नगर कॉलोनी, इंदौर रोड, खंडवा - 450001 (मध्य प्रदेश)

ई-नीलामी - बिक्री सूचना

सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्ति के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना।

इसके द्वारा सामान्य रुप से सर्वसाधाण को और विशेष रुप से ऋणी(यों) एवं जमानतदार(ओं) को सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जिसका कब्जा आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है', और 'जो कुछ भी है'** बिना किसी ज्ञात बाधा के आधार पर विक्रय किया जाएगा जिनका विवरण नीचे दिया गया है:-

क्रं.	ऋणी(यो)/सह ऋणी(यो)/जमानतदार	मांग सूचना दिनांक एवं राशि	अचल संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (RP)	बयाना जमा राशि (ईएमडी) (RP का 10%)	कब्जे का प्रकार
1	(लोन कोड नं. 05510000190/ खण्डवा शाखा) शकील इब्राहीम (ऋणी), समिम बाई एवं युनूस शकील (सह-ऋणी)	**11-08-2025 एवं ₹ 8,38,389/-**	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, तल मंजिल मदिना नगर नागचुन रोड़, हजरत खानशावली, वार्ड नं. 36, प्लाट नं. 03, (कॉलोनी लेआउट के अनुसार प्लाट नं. 02 का भाग), खण्डवा पूर्वी निमाड़, मध्य प्रदेश 450001, **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व - वहीदा बी पति इब्राहीम खान का मकान, पश्चिम - जावेद अहमद खान का मकान, उत्तर - कॉलोनी प्लॉट नं. 9, दक्षिण - रोड़	**Rs. 6,55,200/-**	**Rs. 65,520/-**	**भौतिक**

1. केवाईसी, निविदा प्रपत्र एवं स्वीकृत नियम एवं शर्तों (निविदा दस्तावेज) के साथ बयाना राशि का डीडी जमा करने की अंतिम तिथि **03-11-2025 शाम 5:00 बजे** तक ऊपर उल्लिखित शाखा कार्यालय के पते पर या **https://bankeauctions.com** पर अपलोड की गई है। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त निविदा दस्तावेजों को अमान्य निविदा माना जाएगा और तदनुसार अस्वीकार कर दिया जाएगा। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
2. संपत्ति के लिए बोली/प्रस्ताव (नीलामी तिथि) खोलने की तिथि **04-11-2025 दोपहर : 03:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक https://bankeauctions.com** पर है।
3. जैसा कि ऊपर बताया गया है, एएचएफएल संपत्ति पर लंबित किसी भी देनदारी के लिए जिम्मेदार नहीं है। संपत्ति की नीलामी **'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है' और 'जो है वह है' के आधार पर** की जाएगी।
4. डिमांड ड्राफ्ट केवल 'आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' के पक्ष में बनाया जाना चाहिए।
5. नीलामी/बोली केवल वेबसाइट **https://bankeauctions.com** के माध्यम से 'ऑनलाईन इलेक्ट्रॉनिक बोली' के माध्यम से होगी। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने से पहले विस्तृत शर्तों के लिए वेबसाइट देखें।
6. इच्छुक बोलीदाताओं को **https://bankeauctions.com/registration/signup**, लिंक के माध्यम से पोर्टल मेसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर अपना नाम पंजीकृत करना चाहिए, और अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त करना चाहिए। संभावित बोलीदाता वेबसाइट **https://bankeauctions.com** के माध्यम से सेवा प्रदाता मेसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से ई-नीलामी पर ऑनलाईन प्रशिक्षण का लाभ उठा सकते हैं।
7. अधिक जानकारी के लिए आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी, **दीपक मालवीय संपर्क नंबर 7583898990** या सेवा प्रदाता मेसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, **श्री प्रभाकरन, मोबाईल नं. +91-74182-81709, ई-मेल: tn@c1india.com & support@bankeauctions.com,** फोन नं. **+917291981124 /25 /26** से संपर्क करें। आज तक, एएचएफएल/ एएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी को उपरोक्त अचल संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों को बेचने, हस्तांतरित करने और/या निपटान करने से रोकने वाला कोई आदेश और/या अदालती निषेधाज्ञा नहीं है।
8. बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए, कृपया आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एएचएफएल), सुरक्षित ऋणदाता की वेबसाइट यानी www.aadharhousing.com पर दिए गए लिंक को देखें।
9. नीलामी के लिए बोली वृद्धिशील राशि **रू. 10,000/-** है।
10. यह समाचार पत्र प्रकाशन एवं इसमें निहित डेटा आम जनता के प्रसार के लिए है। इस सामग्री का किसी भी रुप में या किसी भी माध्यम से, चाहे प्रिंट, डिजिटल, किसी भी रुप में इलेक्ट्रानिक प्रकाशन, ईमेल या वेब प्रकाशन, या किसी भी अन्य माध्यम से, संपूर्ण या आंशिक रुप से किसी भी तरह से पुनरुत्पादन, वितरण, प्रसारण या पुनर्प्रकाशन सख्त वर्जित है। किसी भी माध्यम से उपरोक्त सामग्री के किसी भी अनधिकृत उपयोग के परिणामस्वरुप AHFL द्वारा उचित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

सही/- प्राधिकृत अधिकारी
आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

स्थान : मध्य प्रदेश, दिनांक : 29-09-2025